संख्या- 50 /2026/576/नौ-9-2026-001-ई-2030167

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 06 मई, 2026

विषयः राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत "फिरोजाबाद शहर की आंतरिक नाले/नालियों के सुदृढ़ीकरण एवं कवरिंग कार्य" हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4320/106(2)/SSCM/2020-21, दिनांक 07.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "फिरोजाबाद शहर की आंतरिक नाले/नालियों के सुदृढ़ीकरण एवं कवरिंग कार्य" हेतु **कुल लागत धनराशि रू0 21,31,81,000/- (रूपये इक्कीस करोड़ इकतीस लाख इक्यासी हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 10,65,90,000/- (रू0 दस करोड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाईडलाइन्स 2019 के दिशा निर्देशों/शासन के आदेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, फिरोजाबाद को अंतरित की जायेगी।
2. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
4. निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना की गाइडलाइन के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
6. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार

समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7. नगर विकास विभाग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1718/नौ-2-24-01 (एस0डब्लू०डी०)/2024, दि० 20 दिसम्बर, 2024 में अर्बन फ्लुड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनज योजना के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का निर्माण IRC:SP:50-2013 गाइडलाइन्स एवं Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) के Manual on Storm water drainage systems, 2019 के अनुसार कराया जायेगा।
9. निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021--10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. परियोजना में प्रस्तावित आर०सी०सी० ड्रेन की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई, स्लोप इत्यादि का निर्माण सुसंगत सम्बन्धित मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
11. परियोजनान्तर्गत नियमानुसार मलबा निस्तारण (Disposal of Earth) के उपरान्त उपलब्ध धनराशि राजकोष में नियमानुसार जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
12. बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
13. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
14. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
15. परियोजनान्तर्गत बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
16. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 13.01.2026 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में अंकित समस्त विन्दुओं/अन्य सुझावों का अनुपालन/समावेश करने का दायित्व व्यक्तिगत रूप से नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद का होगा एवं इसका पर्यवेक्षण राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
17. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
19. परियोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी निकाय/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निकाय/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि परियोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन के सम्बन्ध में वित लेखा, अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-9/2022/ए-1-357/दस/2022-10(55)/2000, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21. परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
22. परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
23. निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
24. संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
25. अवमुक्त की गयी धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2027 तक उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यदायी संस्था का होगा।
27. इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल विभाग को दी जाय।
28. इस संबंध में वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. **इस संबंध में** होने वाला व्यय रुपये 10,65,90,000/- (रुपये दस करोड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार **मात्र)** **को** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक 2217050510300** राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के **सृजन हेतु अनुदान** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-4-X-2026-27, दिनांक- 04 मई, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 05-05-2026
19:22:59

भवदीय,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या- 50 /2026/~~317~~ 576/नौ-9-2026-001-ई-2030167, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, आगरा।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।